

डिक्री बमुकदमें ईब्दाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 224/2024

पुत्रगण स्व. मुरलीसिंह जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू

तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

वादीगण

बनाम

1. पुनम पुनिया पुत्र हरिशचन्द्र
2. बलवंतसिंह पुत्र नियामत राम
3. प्रदीपकुमार पुत्र स्व. गोपीराम

1. हरिशचन्द्र
2. नियामतराम
3. संगीता पुत्री नियामत राम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया
4. चन्द्रावली पत्नी स्व. गोपीराम
5. पूजा पुत्री स्व. गोपीराम
6. गुरजीतकौर पत्नी भगवानसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान् तहसील संगरिया
7. जोतराम पुत्र निक्कूराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. मन्जूदेवी पत्नी जोतराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
9. पुष्पादेवी पत्नी धन्नाराम पुत्र स्व.राजाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया
10. पालासिंह पुत्र स्व.राजाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया
11. बलराम पुत्र स्व.राजाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया
12. महेन्द कुमार पुत्र स्व.राजाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया
13. रजिस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा संगरिया।
14. ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा धौलीपाल तहसील हनुमानगढ़।
15. पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा संगरिया
16. तहसीलदार राजस्व संगरिया।



प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबरू हमारे बहाजरी श्री भीम सिंह छिम्या वकील वादीगण मिन जामिन मुदर्ई श्री अमित कुमार वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व श्री कुलदीप मूण्ड प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है:- चक 14 ए.एम.पी. खाता संख्या 70/40 ज.स. 2073-2076 में वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्नानुसार आराजी के खातेदार काशतकार घोषित कर इनका खाता निम्नानुसार अलग कायम कर इसी अनुसार हिस्सा कम/ज्यादा/नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

1. वादी सं. 1 पुनम पुनिया व प्रतिवादी सं. 1 हरिशचन्द्र के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि ब.ही.ब. :- चक 14 ए.एम.पी. अंतिम चौसला आधार सम्वन्त 2073 से 2076 खाता सं. 70/40 पं. नं. 136/137 मु. नं. 26 किला नं. 4/1/0.215, 4/2/0.38 गै. मु. रास्ता, 7/.253, 8/.253, 13/.253, 14/.253, 17/.084, 18/.253, 23/.253,
2. वादी सं. 2 बलवंतसिंह पुत्र नियामतराम के हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि:-चक 14 ए.एम.पी. अंतिम चौसला आधार सम्वन्त 2073 से 2076 खाता सं. 70/40 पं. नं. 136/137 मु. नं. 26 किला नं. 5/1/0.215, 5/2/0.38 गै.मु. रास्ता, 6/.253, 15/.253, 16/.253, 17/.169, 24/.253, 25/0.105
3. वादी सं. 3 प्रदीपकुमार पुत्र स्व. गोपीराम 0.840 है. हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 चन्द्रावली पत्नी स्व. गोपीराम 0.573 है. हिस्सा के कब्जा काशत की भूमि:-चक 14 ए.एम.पी. अंतिम चौसला आधार सम्वन्त 2073 से 2076 खाता सं. 70/40 पं. नं. 137/171 मु. नं. 27 किला नं. 1/1/0.215, 1/2/0.38 गै. मु. रास्ता, 10/.253, 11/.253, 19/1/0.108, 19/2/0.38 गै.मु.खाला, 19/3/0.107, 20/.253, पं. नं. 136/137 मु.नं. 26 किला नं. 25/0.148
4. प्रतिवादी संख्या 7 व 8 जोतराम श्री निक्कूराम एवं मन्जू देवी पत्नी श्री जोतराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया के हक व हिस्सा की बहिब कृषि भूमि चक 14 ए.एम.पी. खाता संख्या 70/40 ज.स. 2073-2076 प.न. 136/171 मु.न. 26 किला नं. 2/1/0.215 है., 2/2/0.038 है., 3/1/0.215 है., 3/2/0.038 है. 9,12,19,22/0.253 है.प्र. कुल 1.518 है. मय गै.मु.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 पुष्पा देवी पत्नी श्री धन्नाराम, पाला सिंह पुत्र स्व. श्री राजाराम, बलराम पुत्र स्व. श्री राजाराम, एवं महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री राजाराम समस्त जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया के हक व हिस्सा की बहिब कृषि भूमि चक 14 ए.एम.पी. खाता संख्या 70/40 ज.स. 2073-2076 प.न. 137/171 मु.न. 27 किला नं. किला नं. 2/1/0.215, 2/2/.038, 9,12/0.253 है.प्र.

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निल नल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा
सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बसंत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.10.25 को जारी किया गया।



(जय कौशिक)

~~ब्रह्मचर कलक्टर एवं~~
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया